(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विविध- 3867/2018/देवास/भू. 25

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3965–दो/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 21.10.2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन प्रकरण क्रमांक 435/अपील/2012–13

श्रीमती रुकमणी विधवा अशोक
निवासी ग्राम सुमराखेडी कृषक भौरासा
तहसील सोनकच्छ जिला –देवास

.... आवेदक

विरुद्ध

1– गुड्डीबाई पति चंगीराम
2– चंगीराम पिता हीरालाल
3– धन्नालाल पिता हीरालाल
समस्त निवासीगण ग्राम भौरासा
तहसील सोनकच्छ जिला –देवास म.प्र.
4– ताराबाई पिता हीरालाल पति मांगीलाल
निवासी ग्राम आमलाजाट तहसील आष्टा
जिला सीहौर म.प्र.

श्री गुड्डीबाई ... अनावेदका
द्वारा आज दि. 25-6-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 4-7-18 नियत।
25-6-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

.... अनावेदक

प्रार्थनापत्र के वास्ते आदेश में उल्लेखित नाम में सुधार करने बावत्।

महोदय,

उपरोक्त आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है–

1. यह कि आवेदक के प्रकरण क्रं. निगरानी 3965–दो/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 21.10.2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन प्रकरण क्रमांक 435/अपील/2012–13 में न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (समक्ष– मनोज गोयल) द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2018 के आदेश के पैरा क्रं.2 की प्रथम पंक्ति में अंकित छगनलाल एवं चंगीलाल पिता हीरालाल त्रुटिवश अंकित हो गया है।
2. यह कि उक्त आदेश दिनांक 27.03.2018 में प्रकरण के उन्वान अनुसार अनावेदकगण में अनावेदक क्रं.2 चंगीराम पिता हीरालाल एवं अनावेदक क्रं.3 धन्नालाल पिता हीरालाल है। उक्त अनुसार ही छगनलाल के स्थान पर धन्नालाल एवं चंगीलाल के स्थान चंगीराम पिता हीरालाल निवासी ग्राम भौरासा तहसील सोनकच्छ जिला –देवास म.प्र. अंकित करने की कृपा करें।

अतःएव उक्त आवेदन अनुसार आदेश में अनावेदकगण में अनावेदक क्रं.2 एवं 3 के अनुसार ही वांछित संशोधान किये जाने की कृपा करें।

दिनांक –
29.05.2018

अनावेदक –
गुड्डीबाई एवं अन्य
द्वारा अभिभाषक

सलंग्न–
आदेश दिनांक 27.3.18 की प्रति

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - विविध-3867/2018/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/07/2018	अनावेदिका क्र. 1 गुड्डीबाई की ओर से उनके अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। उनके द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 3965-दो/14 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2018 के पैरा दो की पहली लाइन में छगनलाल एवं चंगीलाल टंकण की त्रुटि से टाइप हो गया है जबकि सही नाम धन्नालाल एवं चंगीराम है। उन्होंने उक्त त्रुटि को सुधारे जाने का अनुरोध किया। आवेदिका द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि प्रस्तुत अभिलेख से होती है। अतः यह निर्देश दिए जाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 3965-दो/14 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2018 के पैरा दो की पहली लाइन में छगनलाल एवं चंगीलाल धन्नालाला एवं चंगीराम पढ़ा जाए। यह आदेश मूल आदेश का ही अंग रहेगा। **प्रशासकीय सदस्य**	